सं. ई-11014/28/2020-हिन्दी/267
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग

901(द.), सेवा भवन
आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 17 जुलाई, 2023

विषय: दिनांक 31.05.2023 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दक्षिणी दिल्ली-2) की बैठक का कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में।

महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण की अध्यक्षता में, दिनांक **31.05.2023** को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में केंद्रीय जल आयोग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की गई। तथापि इस बैठक के कार्यवृत्त की निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है:-

1. कार्यालयों में अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए । सभी पत्र द्विभाषी जारी किए जाने चाहिए।
2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए।
3. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अनुसार प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट आदेश जारी करने चाहिए। **(हिन्दी अनुभाग द्वारा)**
4. 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूर्णतः हिन्दी पत्राचार किया जाना चाहिए।
5. **हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए। (हिन्दी अनुभाग द्वारा)**
6. रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएं।
7. कार्यालयों में कम्प्यूटरों में यूनिकोड के माध्यम से अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में सुनिश्चित किया जाए।
8. बैठकों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए।
9. बैठकों के कार्यवृत्त और कार्यसूची हिन्दी में तैयार की जाए।
10. पावर प्वाइंट और परियोजनाएं वित्तीय मामलों को हिन्दी में अथवा द्विभाषी तैयार किए

जाएं।

11. हिन्दी किताबें खरीदी जाएं। **(पुस्तकालय एवं सूचना ब्यूरो द्वारा)**
12. हिन्दी में ज्यादा से ज्यादा टिप्पणियां लिखी जाएं।
13. सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाए।

के.ज.आ. के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि नराकास बैठक के कार्यवृत्त की उक्त मदों के अनुपालन हेतु अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई से हिन्दी अनुभाग को अवगत कराया जाए।

17/7/2023

(रजिन्दर पाल)
उप निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 011-29583720

सभी अनुभाग/निदेशालय, के.ज.आ.

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अध्यक्ष,के.ज.आ. के प्रधान निजी सचिव
2. सदस्य, नदी प्रबंध/अभिकल्प एवं अनुसंधान/जल आयोजना एवं परियोजना के निजी सचिव
3. मुख्य अभियंता, मानव संसाधन प्रबंध, के.ज.आ. के प्रधान निजी सचिव
4. सचिव, के.ज.आ. के निजी सचिव
5. निदेशक (स्थापना-III) एवं राजभाषा प्रभारी, के.ज.आ. के निजी सचिव
6. सहायक निदेशक (रा.भा.) एवं सदस्य सचिव, नराकास, दक्षिणी दिल्ली-2